भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA NO.12 /2025

No. 2025/AC-II/21/9- Part(2)/ e 3493218

New Delhi, dated: 02.04.2025

General Managers,

All Zonal Railways/PUs

Sub:- Operationalisation of Unified Pension Scheme under national Pension System Regulations -2025- regarding.

Ref:- 1.Board's letter No. F(E)III/2025/UPS/1 dated 28.03.2025 (RBE No. 25/2025)

2. Board's letter No2025/AC-II/21/9-(PART92)/3 3493218 dated 30.03.2025 (RBA No. 9/2025 and RBA No. 10/2025)

****

In continuation of the directives issued by Board vide cited above on the subject, suitable arrangements may be made to ensure the following:

1. **Training Campaigns for dealing staff :**

Training Campaigns in detail may be conducted to all the staff assigned with the duties related to NPS and Migration of NPS-UPS . In such campaigns, the staff may be educated in sufficient detail regarding the roles and responsibilities of DDOs and PAOs in operationalisation of the UPS scheme.

2. **Awareness Campaigns among the eligible NPS employees:**

Awareness campaigns may also be organized for educating the eligible NPS employees about the details of the scheme and on-line submission of the forms for opting of the scheme.

3. An **immediate drive for rectification of missing contributions** of the NPS employees for the past period shall also be launched jointly by PCPOs and PFAs.

It is also reiterated that operational guidelines on Unified Pension Scheme are available at the website the link of which is https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php

These instructions may be noted and notified to all concerned.

Signed by
Rajat Agarwal
Date: 02-04-2025 18:43:32

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 011-23047018
E mail ID: Rajat.agarwal91@gov.in

Copy to:

1. PFAs of all Zonal Railways/PUs
2. PCPOs of all Zonal Railways/PUs
3. MD/CRIS , GM/AIMS/CRIS
4. RBCC for uploading in the website (Accounts Compendium 2025)

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 12/2025

सं.2025/एसीII/21/9-पार्ट (2)/ई 3493218

नई दिल्ली, दिनांकः 02.04.2025

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषयः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन, विनियम-2025 के संबंध में।

संदर्भः 1. बोर्ड का दिनांक 28.03.2025 का पत्र सं. एफ (ई)III/2025/यूपीएस/1 (आरबीई सं. 25/2025)

2. बोर्ड का दिनांक 30.03.2025 का पत्र सं. 2025/एसी-II/21/9-(पार्ट92)/3 3493218 (आरबीए सं. 9/2025 और आरबीए सं. 10/2025)

*****

बोर्ड द्वारा उद्धृत विषय पर उपरोक्त जारी निदेशों के क्रम में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएः

1 संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अभियानः

राष्ट्रीय पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना-एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित निर्दिष्ट ड्यूटी वाले सभी कर्मचारियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण अभियान आयोजित किए जाएं। ऐसे अभियानों में, एकीकृत पेंशन योजना के संचालन में कर्मचारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) और वेतन एवं लेखा अधिकारियों की भूमिका और दायित्वों के बारे में विस्तारपूर्वक शिक्षित किया जाए।

2 <u>पात्र राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियानः</u>

योजना के विवरणों के संबध में पात्र राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारियों को शिक्षित करने और योजना के विकल्प के चयन हेतु फार्म ऑन लाइन जमा करने के लिए भी जागरुकता अभियानों को आयोजित किया जाए।

3 विगत अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के गायब अंशदान के संबंध में सुधार हेतु प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों और प्रधान वित्त सलाहकारों द्वारा संयुक्त रूप से तुरंत अभियान शुरू किया जाए।

यह भी दोहराया जाता है कि एकीकृत पेंशन योजना पर दिशा-निर्देश https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इन अनुदेशों को नोट किया जाए और सर्वसंबंधितों को अधिसूचित किया जाए।

ह॰

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-23047018
ईमेल आईडीः Rajat.agarwal91@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
3. प्रबंध निदेशक/क्रिस, महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस
4. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेल (लेखा सार-संग्रह 2025)